65 फीसदी अंक लाओ, मिलेगा एजुकेशन लोन

उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना अब 7 लाख रु. सालाना इनकम वाले परिवार के बच्चों को भी मिल सकेगा लोन

अभिषेक दुबे | भोपाल

उच्च शिक्षा के लिए अब ऐसे विद्यार्थी भी बैंक से ऋण ले सकेंगे, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 4.50 लाख से अधिक, किंतु 7 लाख रुपए से ज्यादा न हो। इसके लिए यह जरूरी होगा कि उसने 12वीं कक्षा में न्यूनतम 65 फीसदी अंक प्राप्त कर प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया हो। उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले छात्रों को मूल ऋण के साथ कुल ब्याज का 50 फीसदी ब्याज के रूप में अदा करना होगा। जबकि, शेष पचास फीसदी ब्याज राज्य शासन देगी।

अब तक केंद्र सरकार द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को सौ फीसदी ब्याज अनुदान दिया जाता है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख 50 हजार तक है। इस सीमा से अधिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। इस कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने यह योजना लागू की है।

योजना में बैंक द्वारा निर्धारित मोरेटोरियम अवधि (कोर्स की अवधि) और कोर्स पूर्ण करने के बाद अधिकतम एक वर्ष अथवा नौकरी प्रारंभ करने के 6 माह दोनों में से जो भी पहले हो, विद्यार्थी को ब्याज अनुदान की पात्रता होगी। इसके लिए यह जरूरी होगा कि विद्यार्थी द्वारा उच्च शिक्षा के लिए ऋण शेड्यूल बैंक से लिया गया हो। साथ ही विद्यार्थी ने भारतीय बैंक संघ द्वारा मान्य तकनीकी अथवा व्यावसायिक कोर्स के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लिया हो।

हर साल 10 हजार विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ: योजना में हर साल अधिकतम 10 हजार नए विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। योजना में पात्र विद्यार्थी को सिर्फ एक बार तथा एक योजना में ही ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। योजना में ब्याज अनुदान के दावे का भुगतान करने के लिए राज्य शासन ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को नोडल बैंक नियुक्त किया गया है। योजना का क्रियान्वयन संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा किया जाएगा।

किसी भी बैंक में कर सकते हैं आवेदन

जिस छात्र को ब्याज अनुदान योजना का लाभ लेना है, उसे बैंक में तय फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। आवेदन किसी भी बैंक में किया जा सकेगा। आवेदन के साथ छात्र को आय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। इसके बाद संबंधित बैंक उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखेगा। आवेदन की स्क्रूटनी के बाद छात्र का ऋण बैंक मंजूर करेगा।